बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार
बिहार सरकार
द्वितीय तल, अपनाघर (ललित भवन के पीछे), बेली रोड, पटना–23, बिहार। ✉–scpsbihar@gmail.com; ☎–0612 2545033

पत्रांक-03/Adoption Rules/SARA-02/2014- 47

प्रेषक,

राज कुमार, भा.प्र.से.
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
बिहार।

पटना, दिनांक- 11.06.2020

विषय :- **समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत राज्य में लागू प्रायोजन देखरेख** (Sponsorship) **दिशा-निर्देश, 2018 के संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान मे केन्द्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत Sponsorship and foster care के तहत् राज्य के संकटग्रस्त, अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के शैक्षणिक, चिकित्सा, पोषण, पारिवारिक देखभाल एवं अन्य जरूरतों को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्घ कराये जाने का प्रावधान है। Sponsorship योजना के समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि Sponsorship and foster care fund के अंतर्गत प्रत्येक जिले को दी जा रही 10 लाख रूपये की वार्षिक राशि का उपयोग अधिकतर जिलों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिससे बच्चों के लिए प्रावधानित राशि का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा परवरिश योजना के माध्यम से अनाथ, बेसहारा एवं संकटग्रस्त बच्चों को 1000/- रूपये की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है जो कि एक तरह का Sponsorship कार्यक्रम ही है। अत: Sponsorship fund की राशि का परवरिश योजना के TOP-UP के रूप में इस्तेमाल किया जाना है।

योजना के बेहतर संचालन हेतु अधिसूचना सं0-120, दिनांक-03.05.2018 के द्वारा जारी Sponsorship कार्यक्रम के दिशा-निर्देशिका के **कंडिका सं0-4.2** में संशोधन किया गया है, संशोधनोपरान्त उक्त कंडिका निम्नरूपेण पढ़ी जायेगी:-

'A child receiving support in the form of cash assistance or grant under any other scheme of the Central or the State Government, which equivalent to *sponsorship or kinship* care support, e.g.- Parwarish may also be entitled to be covered under this programme'.

योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न निदेश भी निर्गत किये जा रहे हैं:-

1. Sponsorship कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक- 31.05.2020 तक प्रथम स्वीकृत 41 आवेदकों को ही योजना का लाभ दिया जाना है क्योंकि समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जिला बाल

संरक्षण इकाई के Sponsorship and foster care fund में केन्द्र सरकार के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त राशि उपलब्घ नहीं करायी गयी है। यह दिशा-निर्देश दिनांक-01.06.2020 से प्रभावी होगा तथा पूर्व से स्वीकृत आवेदनों को मई, 2020 तक ही पुराने दिशा-निर्देश के आलोक में भुगतान किया जाना है।

2. Sponsorship and foster care fund में उपलब्ध राशि का सम्पूर्ण उपयोग एवं लाभार्थियों तक लाभ पहुँचाने हेतु परवरिश के अधिक आयु के लाभार्थियों को घटते क्रम में राशि की उपलब्धता एवं वरीयता के आधार पर इस वित्तीय वर्ष 1000/- रूपये प्रति माह अतिरिक्त राशि, इस fund के माध्यम से दिया जाना है। राशि का भुगतान परवरिश के तर्ज पर बच्चे के 18 वर्ष पूर्ण होने तक ही किया जाना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में यदि किसी लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है, ऐसी स्थिति में उस लाभार्थी के स्थान पर वरीयता सूची से चयनित लाभार्थी को बचे हुए माहों के लिए इस योजना का लाभ दिया जाना है।

4. परवरिश की वरीयता सूची वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगी। इस क्रम में जिले में परवरिश के प्राप्त नये आवदेनों को इस योजना का लाभ इस वर्ष नहीं दिया जाना है।

5. राज्य बाल संरक्षण समिति से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सभी जिलों को परवरिश के लाभार्थियों की वरीयता सूची उपलब्घ करायी जायेगी जिसके आधार पर वांछित राशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

अत: उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक-यथोक्त।

11/06/20

निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

11/6/20

निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति,